प्रेस विज्ञप्ति

जारी तिथि 22 दिसंबर 2017

भारतीय मानक ब्यूरो ने नकली ISI चिहन वाले स्विचों के यूनिट में छापा मारा

भारतीय मानक ब्यूरो (भामाब्यूरो) मुंबई के कार्मिकों के एक दल ने दिनांक 21 दिसंबर 2017 को घरेलू स्विचों में ISI चिहन के दुरुपयोग की जॉच करने हेतु वसई में प्रवर्तन तलाशी और जब्ती अभियान संचालित किया। छापे के दौरान मैसर्स महावीर इन्टरप्राईजेज, गाला एफ 20, पहला माला, टॉप क्लास इन्कलेव, भोईपाडा, वसई, पूर्व जिला पालघर, महाराष्ट्र 401208 के परिसर में उनके द्वारा निर्मित विभिन्न ब्रान्डों जैसे 'प्लेजॅरन', 'अमरित्ये' और 'मिलीटेक' इत्यादि के घरेलू स्विचों पर भारतीय मानक ब्यूरो से बिना वैध लाईसेंस लिए भामाब्यूरो प्रमाणन **ISI चिहन** का दुरुपयोग करते पाये गए। लगभग 16000 नग स्विच और पैकिंग सामग्री जब्त की गयी।

भामाब्यूरो मानक चिहन का दुरुपयोग भामाब्यूरो अधिनियम 1986 के अनुसार एक दण्डनीय अपराध है, जिसके अन्तर्गत दो वर्ष का कारावास अथवा रु 2,00000.00 का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है। अपराध के लिए न्यायालय में मुकदमा फाईल करने की कार्रवाई की जा रही है।

बहुत बार यह पाया गया है कि जाली ISI चिहन वाले उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है और अधिक लाभ के लिए आम उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। अत: लोग उत्पाद खरीदने से पहले ISI चिहन की प्रामाणिकता जानने हेतु भामाब्यूरो वेबसाइट **http://www.bis.gov.in** देखें।

जन साधारण से निवेदन किया जाता है कि यदि उन्हें किसी भी उत्पाद पर ISI चिहन का दुरुपयोग पाया गया हो तो उसके बारे में प्रमुख, मुंबई शाखा कार्यालय2, पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, भामाब्यूरो, मानकालयश, ई-9, एमआइडीसी, मरोल एक्सचेन्ज के पीछे, अंधेरी,पूर्व मुंबई 400 093 को सूचित करें। इस प्रकार की शिकायतों को hmubo2@bis.gov.in पर ईमेल दवारा भी किया जा सकता है। इस प्रकार की सूचना को गोपनीय रखा जाएगा।

राजीव पी
वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रमुख, मुंबई शाखा कार्यालय2
भामाब्यूरो, मुंबई

PRESS RELEASE

Date of issue: 22 December 2017

BIS Raids Spuriously ISI marked Switches

A team of Officials from Bureau of Indian Standards (BIS), Mumbai conducted an Enforcement Search and Seizure operation at Vasai Road on 21 December 2017 to check the misuse of ISI Mark on Domestic Switches. During the raid at the premise of M/s MAHAVIR ENTERPRISE, GALA F 20, I FLOOR, TOP CLASS ENCLAVE, BHOIDAPADA, VASAI EAST, PALGHAR Dt, MAHARASHTRA - 401208, they were found misusing the BIS Certification Mark (ISI Mark) without a valid licence from BIS on DOMESTIC SWITCHS with various brand names "PLEASUREON", "AMRYTE", and "MILLITEC" manufactured by them. About 16000 numbers of Switches and packing materials were seized.

The misuse of BIS Standard Mark is punishable with imprisonment upto two years or a fine of minimum Rs 2,00,000 or both as per BIS Act 2016. Action is being initiated to file a case in the court of low for the offence.

It has been observed many times that fake ISI marked products are manufactured and sold to common consumers for huge profit. Therefore, people should ascertain the genuineness of ISI Mark on the product before purchase by visiting BIS website http://www.bis.gov.in.

General public are requested that in case they come across any instance of misuse of ISI Mark on any product, the same may be informed to the Head, MUBO-II, Western Regional Office, BIS, Manakalaya, E9, Behind Marol Telephone Exchange, Andheri(East), Mumbai 400 093. Such complaints can also be made by E-mail at the address hmubo2@bis.gov.in . The source of such information will be kept confidential.

(Rajeev P)
Sc E & Head, MUBO-II, BIS Mumbai